''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर 2006—आश्विन 7, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2006

क्रमांक ई-01-07/2004/एक/2.—डॉ. आलोक शुक्ला, भा. प्र. से. (सीजी : 1986), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ को दिनांक 1-10-2006 से 14-10-2006 तक United States में "Incident Command System and Disaster Management" में अध्ययन भ्रमण हेतु नियोजित किया गया है.

2. डॉ. शुक्ला के अध्ययन भ्रमण की अवधि में श्रीमती निधि छिब्बर, भा. प्र. से. (सीजी : 1994) संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

छत्तीसगढ़ को अपने वर्तमान् कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ का कार्यभार संभालने के लिये नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2006

क्रमांक ई-01-02/2006/एक/2.—डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा. प्र. से. (2002), आयुक्त, नगर निगम, रायपुर की सेवायें नगरीय विकास विभाग से वापस लेते हुए, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2006

क्रमांक ई-7/15/2003/1/2.—श्री आर. पी. जैन, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 23-10-2006 से 17-11-2006 तक (26 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21, 22 अक्टूबर, 2006 एवं 18, 19 नवम्बर, 2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जैन, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री जैन, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जैन, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2006

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2.—श्री अजय सिंह, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 24-10-2006 से 30-10-2006 तक (7 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उक्त अवकाश अवधि में स्वयं के व्यय पर थाईलैण्ड (विदेश) प्रवास की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2006

क्रमांक एफ 4-02/2006/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 17 जुलाई, 2006 से 2 अगस्त, 2006 तक (सत्रह दिवस) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति एवं दिनांक 16 जुलाई, 2006 के सार्वजनिक अवकाश लाभ की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2006

फा. क्रमांक 11469/21-ब/छ.ग./06.—छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम क्रमांक 29) की धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता श्री एच. व्ही. राठौर को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण का तकनीकी सदस्य नियुक्त करता है.

Raipur, the 15th September 2006

F. No. 11469/XXI-B/C.G./06.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (Act No. 23 of 1983), the State Government hereby appoint Shri H. V. Rathod, Retd. Engineer-in-Chief as the Technical Member of the Chhattisgarh Arbitration Tribunal from the date he assumes charge of the office for a period of three years or until he attains the age of 65 years whichever is earlier.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2006

क्र. 11611/डी-2309/21-ब/छ. ग./2006.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय के परामर्श से महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में पदस्थ निम्नलिखित सारणी के क्रमांक (2) में वर्णित विधि अधिकारियों को छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय हेतु अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है :—

क्रमांक	विधि अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री विनय हरित	उप महाधिवक्ता
2.	श्री रमाकान्त मिश्रा	शासकीय अधिवक्ता
3.	श्री जी. डी. वासवानी	शासकीय अधिवक्ता
4.	श्री सुशील चंद्र दुबे	शासकीय अधिवक्ता
5.	श्री सुधीर वाजपेयी	शासकीय अधिवक्ता

Raipur, the 20th September 2006

F. No. 11611/D-2309/XXI-B/C.G./06.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the code of criminal procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the state Government in consultation with the High Court of Chhattisgarh is pleased to appoint Law Officers of Advocate General Office, Bilaspur Specified in column No. (2) as Additional Public Prosecutors for the High Court of Chhattisgarh :—

No.	Name of Law Officers	Designation
1.	Shri Vinay Harit	Dy. Advocate General
2.	Shri Ramakant Mishra	Govt. Advocate
3.	Shri G. D. Vaswani	Govt. Advocate
4.	Shri Sushil Chandra Dubey	Govt. Advocate
5.	Shri Sudhir Bajpai	Govt. Advocate

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2006

क्रमांक एफ-2/114/2003 सात-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम, 1980 छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ—

   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती (संशोधन) नियम, 2006 होगा.

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

   (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. शब्द "संभागायुक्त/संभागायुक्त कार्यालय" जहां कहीं भी आये हों, का लोप किया जाए.

3. अनुसूची चार में सरल क्रमांक-1 के कालम सं. (2) के कालम सं. (5) में प्रविष्टि क्रमांक 1 से 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित किया जाएँ, अर्थात् :—

   (1) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अथवा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा नामांकित आयोग का एक सदस्य. — अध्यक्ष

2. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग. — सदस्य

3. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग — सदस्य

4. अनुसूची चार में सरल क्रमांक 2 में कालम संख्या (2) के कालम संख्या (5) में प्रविष्टि 1 से 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

1. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग — अध्यक्ष

2. आयुक्त/अपर आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ — सदस्य

3. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा नामांकित कोई एक सचिव. — सदस्य

Raipur, the 20th September 2006

No. F-2/114/2003-सात-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby, makes the following further amendments in the Madhyapradesh Junior Administrative Service Recruitment Rules, 1980 in its application to the State of Chhattisgarh, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules :—

1. Short title, extent and commencement—

(1) This rules may be called the Chhattisgarh Junior Administrative Service Recruitment (amendment) Rules, 2006.

(2) It extends the whole state of Chhattisgarh.

(3) It shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. The words "Divisional Commissioner/Divisional Commissioner Office" wherever occur, shall be omitted.

3. For the entries 1 to 4 in column No. (5) of column No. (2) in serial No. 1 in schedule IV the following entries shall be substituted, namely :—

(1) Chairman, Chhattisgarh Public Service Commission or a member of the Commission nominated by the Chairman. — Chairman

(2) Principal Secretary / Secretary, Government of Chhattisgarh Deptt. of General Administration. — Member

(3) Principal Secretary/Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Revenue Deptt. — Member

4. For the entries 1 to 3 in column No. (5) of column No. (2) in serial No. 2 in schedule IV the following entries shall be substituted, namely :—

(1) Principal Secretary /Secretary, Government of Chhattisgarh Deptt. of Revenue.	Chairman
(2) Commissioner/Additional Commissioner land Record, Chhattisgarh.	Member
(3) Any one Secretary nominated by the Chief Secretary Government of Chhattisgarh.	Member

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2006

क्रमांक एफ 1-25/2004/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री एम. पी. साहू, उप-अभियंता, कार्यालय-सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग-रायपुर, को सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500 में पदोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यालय सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग-बिलासपुर में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अजा. एवं अजजा. के लिए आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवासीष दास, विशेष सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक एफ 1-111/31/स्था./2006.—राज्य शासन द्वारा, श्री आर. पटेल, अधीक्षण अभियंता, भू-जल सर्वे, मण्डल एवं जल संसाधन मण्डल रायपुर को तत्काल प्रभाव से, अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, प्रभारी मुख्य अभियंता, मिनीमाता बांगो परियोजना, बिलासपुर (श्री एस. के. सरकार, मुख्य अभियंता दिनांक 31-8-2006 सेवानिवृत्त से रिक्त) का, वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों सहित चालू प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री पी. के. मिश्रा, अधीक्षण अभियंता (रूपांकन) कार्या. मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार, रायपुर को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अधीक्षण अभियंता (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर में पदस्थ किया जाता है.

3. उपरोक्त पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के तहत किया गया है.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2006

क्रमांक एफ 1-171/31/स्था./ज.सं.वि./2006.—राज्य शासन द्वारा, श्री एस. के. सरकार, मुख्य अभियंता, मिनीमाता बांगो परियोजना, बिलासपुर को छ. ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के तहत छ. ग. सिंचाई विकास परियोजना के परियोजना डायरेक्टर के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि हेतु, संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है, इनके वेतन आदि का आहरण मुख्य अभियंता के रिक्त पद के विरुद्ध प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा आहरित होगा. संविदा नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होंगी :—

1. संविदा सेवा में एकमुश्त वेतन देय होगा और इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी.

2. संविदा नियुक्ति की स्थिति में मासिक एकमुश्त राशि वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त सकल वेतन (सकल वेतन से तात्पर्य सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन, महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता) में से सकल पेंशन (सकल पेंशन से तात्पर्य प्राप्त पेंशन एवं उस पर देय राहत) की राशि कम की जाकर किया जावे.

3. संविदा वेतन उनके संविदा के पद के वेतनमान के अधिकतम (अथवा अधिकतम से 10 प्रतिशत ज्यादा) से अधिक नहीं होगा.

4. संविदा नियुक्ति के दौरान पेंशन तथा पेंशन पर राहत पृथक से प्राप्त करने की पात्रता होगी.

5. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.

6. यदि शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति के समय शासकीय आवास गृह में रह रहे थे तो संविदा नियुक्ति की अवधि के दौरान भी शासकीय आवास गृह की पात्रता होगी, जिसका किराया उसी दर से काटा जायेगा जो सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व देय था.

7. संविदा पर नियुक्त अधिकारी के कार्य के मूल्यांकन हेतु गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा.

8. शासकीय सेवक के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अस्थाई कर्मचारियों के समान अवकाश की पात्रता होगी.

9. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी.

10. श्री एस. के. सरकार, पर छ. ग. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 लागू होगा.

11. वित्तीय संहिता भाग-एक के पैरा 1, 2 (23) के अनुसार श्री सरकार को वित्तीय अधिकार को छोड़कर अन्य सभी प्रशासनिक अधिकार प्राप्त रहेंगे.

12. आदेश जारी करने के लिये वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 173/वित्त-चार/2006, बजट-2 दिनांक 04-09-2006 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2006

क्रमांक एफ 1-171/31/स्था./ज.सं.वि./2006:—राज्य शासन एतद्द्वारा, छ. ग. सिंचाई विकास परियोजना में एक वर्ष की अवधि हेतु परियोजना डायरेक्टर के पद को, संविदा पद घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, संयुक्त सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2006

शुद्धि पत्र

क्रमांक एफ 1-27/03/(6) 52.—इस विभाग के समसंख्यक संशोधन आदेश दिनांक 7-9-06 में आदेश क्रमांक एफ 1-28/02/(6) 52, दिनांक 23-11-02 द्वारा हाथकरघा प्रभाग के मुख्यालय हेतु 32 पद अंकित है, के स्थान पर 38 पद पढ़ा जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अवर सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

(वित्त तथा योजना विभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2006

क्रमांक एफ 4-2/06/23/वियो.—राज्य शासन एतद्द्वारा जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा 3 (ग) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राकेश कुमार चन्द्राकर, समन्वयक, रामकृष्ण मिशन, आश्रम नारायणपुर तथा श्री किरण देव, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला-बस्तर को तत्काल प्रभाव से जिला योजना समिति की कार्य अवधि तक के लिये जिला योजना समिति, जिला-बस्तर में सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. [illegible]शी, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 22/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पीड़ा	1.151	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन माइनर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 23/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पुटपुरा	0.831	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन माइनर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 8/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	सकेरी	1.399	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 13/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पेटुलकापा	1.417	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन माइनर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 18/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	भरेवा	0.449	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन माइनर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 21/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पथरगढ़ी	1.182	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 25/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	भठली	1.383	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 17 अगस्त 2006

प्र. क्र. 41 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	धनगांव प. ह. नं. 57	6.280	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट मध्यम परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 अगस्त 2006

प्र. क्र. 42 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	भैंसबोड़ प. ह. नं. 57	8.526	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट मध्यम परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 अगस्त 2006

प्र. क्र. 43 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	लाखाटोला प. ह. नं. 58	2.809	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट मध्यम परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 अगस्त 2006

प्र. क्र. 44 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	खैरा प. ह. नं. 55	5.445	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट मध्यम परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 अगस्त 2006

प्र. क्र. 45 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	कुरूवा प. ह. नं. 55	5.510	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट मध्यम परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 अगस्त 2006

प्र. क्र. 46 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बामी प. ह. नं. 50	5.679	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट मध्यम परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 अगस्त 2006

प्र. क्र. 47 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	पवनतरा प. ह. नं. 50	4.506	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	करां नाला बैराज परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 अगस्त 2006

प्र. क्र. 48 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	सिंघनपुरी प. ह. नं. 46	2.281	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रा नाला बैरॉज परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 अगस्त 2006

प्र. क्र. 49 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	धनौरा प. ह. नं. 44	3.915	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रा नाला बैरॉज परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 अगस्त 2006

प्र. क्र. 50 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	कुम्हारी प. ह. नं. 44	3.067	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रा नाला बैराज परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 18 सितम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 12 अ/82-03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
(ख) तहसील-पंडरिया
(ग) नगर/ग्राम-खैरझिटी, प. ह. नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.41 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	271	1.31
	270	0.10
योग	02	1.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंघरा व्यपवर्तन से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 18 सितम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-छुहीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
102/2	0.105
योग	0.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छुहीपाली जलाशय हेतु पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 सितम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोटमार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.842 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
223/9	0.020
223/5	0.101
218/2	0.081
117/1	0.081
223/7	0.020
219	0.117
232/1	0.202
218/3	0.081
223/6	0.045
232/2	0.405
223/10	0.020
223/1	0.714
233/4	0.918
217/2	0.065
218/1	0.081
222	0.332
233/7	1.184
232/363	0.181
233/2	0.134
223/8	0.020
223/11	0.040
योग 21	4.842

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोतरलिया रेल्वे साईडिंग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्र. 8/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-पीपरखुंटी, प. ह. नं.-15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.62 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
79	0.50
80	0.12
योग 2	0.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पदमपुर डायवर्सन नहर क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

क्र. 5/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-पठारीकापा, प. ह. नं.-15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.14 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
17	0.43
20	0.32
18/1	0.33
18/2	0.15
161	0.20
162	0.21
175/1	0.18
163	0.35
166/1	0.31
166/2	0.33
167/1	0.36
168	0.19
169, 170/3	0.21
174/1+2	0.40
170/1	0.14
170/2	0.14
171	0.30
172	0.41
175/2	0.18
योग 19	5.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पदमपुर डायवर्सन नहर क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2006

क्र. 5/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-सुरेठा, प. ह. नं.-20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.63 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	34/2	0.20
	35	0.71
	36	0.51
	38/2	0.30
	32/1	0.50
	33/2	0.20
	32/3	0.11
	33/3	0.10
योग	8	2.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पदमपुर डायवर्सन डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2006

क्र. 3/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-रतनपुर, प. ह. नं.-17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-28.64 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
822/1 प/2	1.15
822/1 य/2	1.01
682/1	1.38
682/7	0.40
158, 159, 160	0.34
171/1	0.06
172	0.35
183/2	0.11
184	0.07
185, 178/2	0.07
186/1	0.14
143, 182	0.17
142	0.11
822/1 घ, 904/3 ख	0.41
822/1 थ/2	0.30
825/1, 826/1/2	0.14
825/2	0.10
825/3	0.10
826/2, 817/1, 817/3	0.64
677, 678, 559	1.64
676	1.03
619/10	0.23
817/2, 818/2	0.74

(1)	(2)
609/1, 609/4	0.40
609/2	0.24
598/3	0.13
604/1	0.09
604/11	0.17
604/2	0.30
604/5	0.09
579/6 घ	0.41
589/1	0.05
579/1 ट/3	0.24
579/1 घ	0.14
579/1 च	0.11
579/6 च	0.15
579/6 छ	0.12
579/6 ग/1	0.23
579/6 ग/2	0.14
548/2, 548/3	0.09
560/1, 560/2	0.16
561	0.20
866/2, 867/1, 922/1 ड	0.24
867/2	0.52
868/1 क, 922/1 ज	0.39
869, 870/1	0.49
871/2	0.31
761/1, 761/8, 854/1, 761/3, 849/1 क	0.83
852/1	0.15
852/2	0.04
2117/2, 2118, 2174/3	0.14
2177	0.35
2196/8	0.03
2196/4	0.09
2174/5	0.32
871/1	0.18
866/1, 868/2	0.13
868/1 ग	0.13
868/1 ख	0.13
875/3	0.29
850	0.16
851/3, 854/5	0.39
854/2	0.20
766	0.47
763, 764/1	0.24
764/2	0.12
761/7	0.06
761/4	0.12
2174/6	0.11
2174/4, 2174/1	0.63
2196/5	0.08
2196/14	0.03

(1)	(2)
2196/13	0.03
2201	0.21
2208/1	0.10
2208/3	0.09
2208/4	0.08
2208/5	0.07
2208/9	0.06
2206, 2207	0.19
2210, 2213	0.19
2211/1	0.09
2212/1	0.23
2212/2, 2212/3, 2212/4	0.23
3294/4	0.80
3269/1, 3269/5	0.17
3268/1	0.17
3267/4	0.09
3267/5	0.08
3259/1	0.30
3213/1	0.16
3213/2	0.35
3213/3	0.15
3215/1	0.11
3253	0.06
2117/2, 2118, 2120	0.73
2121/1 क	0.07
2128/3	0.09
2125, 2126/2, 2129	0.01
2131/1	0.22
2131/2, 2325/2	0.05
2303/2	0.03
2335/1	0.20
2333/3, 2335/3	0.25
2336/1	0.15
2347/2	0.40
2347/4	0.18
3250/2	0.21
2374	0.01
2382	0.10
861/4	0.05
2367/2	0.05
2122, 2123	0.15
609/3	0.16
योग	28.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चांपी जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2006

क्र. 7/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-भुसण्डी, प. ह. नं.-23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-21.94 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
14	0.13
16/1	0.86
16/2	0.58
115/2	0.26
16/3	0.86
17/1	0.12
17/2	0.57
18	0.40
46	0.14
48/2, 48/3	1.64
49/2	0.02
49/3	0.82
65/1	0.20
50/2	0.14
50/4	0.58
67	2.54
68/1	1.30
111/1	0.58
111/2	0.45
116/2	0.40
112	0.10
115/1	0.22
116/1	1.70
119	0.46
118	0.07
120	0.25
131	0.82
132/3	0.26
132/4	0.06
121/4	0.15
151/2	0.54
151/3	0.32
150	0.88
149	1.12
148/1	0.36
130	0.25
132/1	0.28
132/5	0.08
132/6	0.50
132/7	0.82
109	0.10
110/2	0.01
योग 42	21.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तोताकापा रहन नाला व्यपवर्तन योजना के (फिडर) नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2006

क्र. 8/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-पचोटिया, प. ह. नं.-23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.34 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
3/1	0.10
3/2	1.00
7/1	0.07
7/2	0.63
9, 10	0.06
11/1	0.35
16/2	0.29
11/2	0.48
16/1	0.28
14, 15	0.32
17	0.16
18	0.85
19/1	0.85
21	0.36
22/1	0.20
23/1	0.16
23/2	0.10
24/1	0.37
34	0.08
35/1, 36/1	0.20
158/2	0.54
158/3	0.02
159/1	0.45
159/2	0.44
160/2, 161/2	0.10
160/3, 161/3	0.10
171	0.08
173/1	1.12
174	0.67
172	0.16
173/2	1.12
175/1	0.08
175/2	0.03
176/2	0.12
177	0.40
योग 35	12.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तोताकापा रहन नाला व्यपवर्तन योजना के (फिडर) नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2006

क्र. 9/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-कोसमा, प. ह. नं.-24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.20 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
79/1	0.20
79/2	0.20
80, 81/1	0.53
83/2	0.32
98/2	0.16
118/11	0.50
98/5	0.06
99/4	0.26

(1)	(2)
99/7	0.11
103/9	0.04
103/11	0.42
103/13	0.02
118/10	0.45
99/5	0.16
99/6	0.10
103/8	0.06
103/10	0.34
103/12	0.15
99/3	0.10
99/2	0.30
103/4	0.08
103/6	0.34
103/7	0.15
103/3	0.04
103/1	0.05
103/2	0.06
योग 26	5.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तोताकापा रहन नाला व्यपवर्तन योजना के (फिडर) नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, AT BILASPUR

Bilaspur, the 12th September 2006

No. 4406/R. G./2005.—Whereas a Departmental Enquiry is contemplated against Shri Yogesh Mathur. Third Additional District and Sessions Judge, Jagdalpur, District Bastar (C. G.)

And Whereas serious nature of act of misconduct warrants his suspension from service.

Now pursuant to powers conferred on Hon'ble High Court of Chhattisgarh as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules. 1966. Hon'ble High Court of Chhattisgarh hereby places Shri Yogesh Mathur. Third Additional District and Sessions Judge. Jagdalpur. District Bastar (C. G.) under suspension with immediate effect in contemplation of the Departmental Enquiry.

The headquarter of Shri Yogesh Mathur, Third Additional District and Sessions Judge, Jagdalpur. District Bastar (C. G.) during the period of suspension, is hereby fixed at Bastar at Jagdalpur (C. G.) until further orders. He shall not leave the headquarters without obtaining previous permission.

The subsistence allowance be paid as per rules.

Bilaspur, the 19th September 2006

No. 483/Confdl./2006/II-2-90/2001 (Pt.II).—Shri H. S. Markam, Member of Higher Judicial Service, presently posted as II Additional Principal Judge, Family Court, Durg, is transferred and posted as Officer-on-Special Duty on the establishment of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur until further orders with a direction to join at his new place of posting by 25th of September 2006 positively.

Bilaspur, the 19th September 2006

No. 485/Confdl./2006/II-2-90/2001 (Pt.II).—Shri R. C. S. Samant, Member of Higher Judicial Service, presently posted as President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Raipur, is appointed as Additional Registrar (Admn.), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur until further orders, from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 19th September 2006

No. 487/Confdl./2006/II-15-2/2005.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2), who are presently posted as Judges of Family Court, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Posted as (5)
1.	Smt. Nirmala Singh, II Additional Principal Judge, Family Court.	Raipur	Raipur	Principal Judge, Family Court
2.	Smt. Maitrai Mathur, Principal Judge, Family Court.	Raipur	Raipur	II Additional Principal Judge, Family Court.

Bilaspur, the 19th September 2006

No. 489/Confdl./2006/II-2-1/2006.—The following Member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assume charge of his office; and

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assume charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri A. S. Chandel, Additional Registrar (Admn.), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Durg	Durg	II Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.

Bilaspur, the 20th September 2006

No. 494/Confdl./2006/II-2-1/2006.—The following Member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assume charge of his office; and

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assume charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri T. K. Jha, Additional District and Sessions Judge.	Dantewara	Raipur	Raipur	II Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.

By order of the High Court,
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2006

क्रमांक 4466/तीन-6-2/2006.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्यांक 2 सन् 1974) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री प्रबोध टोप्पो, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनेन्द्रगढ़ जिला सरगुजा को उक्त धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपतः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

Bilaspur, the 18th September 2006

No. 4466/III-6-2/2006.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers Shri Prabodh Toppo, Judicial Magistrate First Class, Manendragarh District Surguja to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

बिलासपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2006

क्रमांक 138/दो-2-7/2003.—श्री ए. एस. चन्देल, एडीशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 10002/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 14-07-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. आर. एल. नारायणा, एडीशनल रजिस्ट्रार (लेखा).